परिचय

अंगदान से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के शरीर से अंगों को निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने से है! जो व्यक्ति अंग देता है उसे अंगदाता कहा जाता है व् जो लेता है उसे अंग प्राप्तकर्ता कहा जाता है!

क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोग अंगों के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, 2 लाख लोग लीवर की बीमारी से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, करीब 50 हजार लोग ह्रदय की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं! करीब 150000 लोग किडनी प्रत्यारोपण का इंतजार करते हैं जिसमे केवल 5000 लोगों को ही किडनी लग पाती है!

राष्ट्रीय स्तर पर 1.2 बिलियन जनसंख्या वाले भारत में केवल 0.5 की दर से 2015 में अंगदान हुआ! विश्व की तुलना में यह आंकड़ा काफी छोटा है! एक व्यक्ति अपने अंगों का दान करके 8 अन्य लोगों की जान बचा सकता है तथा तंतु दान करके 50 लोगों के जीवन में प्रकाश भर सकता है!

राजस्थान में अंगदान कार्यक्रम की शुरुआत 6 दिसम्बर 2014 को हुई, प्रथम अंगदान 6 फरवरी 2016 को 7 वर्षीय अलवर तिलवाड़ निवासी मोहित का हुआ!

अंगों के आवंटन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्थान नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग (आरनोस http://www.rnos.org) को बनाया गया जिसमे ऐसे मरीज जिनके किडनी, लीवर, ह्रदय व् लंग्स खराब हो चुके हैं वे पहले से ही पंजीकृत किसी एक अस्पताल में जाकर अपना पंजीकरण करवाते हैं जहाँ क्रॉस मैचिंग और बारी आने पर मरीजों को अंग प्रत्यारोपित किये जाते हैं!

राजस्थान नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग में (सवाई मानसिंह अस्पताल,निम्स अस्पताल,फोर्टिस अस्पताल, नारायणा अस्पताल,महात्मा गाँधी अस्पताल,मोनिलेक अस्पताल,इटरनल हार्ट केयर सेन्टर, अपैक्स अस्पताल,आस्था अस्पताल) में पंजीकृत हैं- यदि सवाई मानसिंह अस्पताल में किसी मरीज को ब्रेन डेड घोषित किया जाता है और उसके परिवारजन अंगों(किडनी,ह्रदय,लीवर)का दान कर रहे हैं तो मरीज की दोनों किडनीयां व् लीवर सवाई मानसिंह अस्पताल की राजस्थान नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग में प्रतीक्षारत मरीजो को ही लगाई जाएगी! मरीज नही होने की स्थिति में अन्य अस्पतालों को अंगों का आवंटन कॉमन वेटिंग लिस्ट के प्रतीक्षासूची के हिसाब से किया जायेगा!
अन्य अस्पतालों में मरीज के ब्रेन डेथ घोषित व् उसके परिजनों द्वारा अंगदान के लिए सहमत हो जाने पर एक किडनी सवाई मानसिंह अस्पताल को दी जाएगी व् लीवर, हार्ट सम्बन्धित अस्पताल द्वारा प्रत्यारोपित किये जायेंगे और यदि उस अस्पताल में लीवर,हार्ट का कोई मरीज नही है तो कॉमन वेटिंग लिस्ट के हिसाब से अन्य अस्पतालों को इसका आवंटन किया जायेगा!

उद्देश्य:-
कार्यक्रम के अंत में, टेली परामर्शदाता अंगदान को बढ़ावा देने के लिए अपने ज्ञान व् कुशलता से अंग प्राप्तकर्ता व् अंगदाता दोनों को सही सुझाव् देता है!

विशिष्ट उद्देश्य:-
अंगदान के बारे में जानकारी लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाना!
अंगदान विषय के FAQ(फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन) के बारे में चर्चा करना!
पूछताछ के बारे में जानकारी रखना!

लक्ष्य समूह:
104/108 जयपुर के टेली परामर्शदाता

व्यवस्थाकर्ता:-
MFJCF, नवजीवन
सवाई मानसिंह अस्पताल, इमरजेंसी के सामने, क्रिटिकल केयर ब्लाक
मोबाइल-982959005,9799003860
ईमेल:-mfjcfjaipur@gmail.com
वेबसाइट:-mfjcfnavjeevan.info

मोहन फाउंडेशन
3 फ्लोर, तोशनीवाल बिल्डिंग, 267 किल्पौक गार्डन रोड,चेन्नई 600010
फ़ोन:-044 26447000, 9444607000
ईमेल:-info@mohanfoundation.org
वेबसाइट –www.mohanfoundation.org

Concepts of Organ Donation

Organs and Functions

Heart
- Pumps blood

Liver
- Clearing the blood of drugs and other poisonous substances
- Regulating blood clotting

Kidney
- Blood pressure control
- Salt and water balance

Lungs
- Respiration
- Filter out small blood clots formed in veins

Pancreas
- Secrets insulin and glucagon

What is Organ Donation?

Organ donation is the process of removing tissues or organs from a live or dead (donor) person to be used in another (recipient).

Organ Donation Is Legal?

Yes

Transplantation of Human Organs Act, 1994

Objectives

- To regulate removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes
- To prevent commercial dealings in organs

Offences & Penalties under THO Act 1994 & 2011

Submission of false documents:

- Imprisonment: Upto 10 years
- Fine: Rs. 20 lakhs to 1 crore

Commercial dealings in organs:

- Imprisonment 1–3 years
- Fines: Rs. 5–25 lakhs

Penalties for doctors

- First offence-Name struck off from state medical register for 3yrs
- Subsequent offence-Name struck off permanently

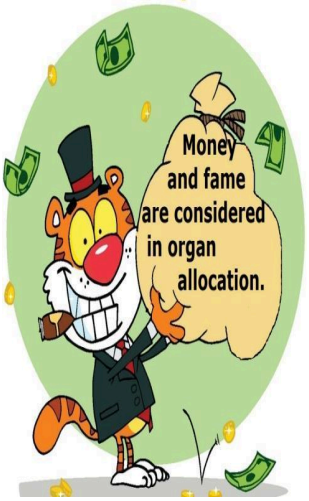

Tissue / Organ Donation by a Living Person

Blood

Kidney

Part of -

Liver

Lungs

Pancreas

Tissues Donation after Cardiac Death

Bone

Corneas

Skin

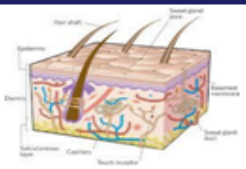

Heart Valves

Who Can Donate?

- **Live Donor**
  - Related
  - Unrelated
- **Deceased Donor**
  - Cardiac Death
  - Brain Death

Organs & Age

Heart	2 months – 45 years
Liver	2 months – 50 years
Lungs	2 months – 50 years
Heart Valves	6 months – 45 years
Kidneys	6 months – 75 years
Corneas	6 months – 100 years
Pancreas	9 years – 50 years
Skin	16 years – 85 years
Bone	18 years – 75 years

Brain Death

The term brain stem death means the stage at which all functions of the brain stem have permanently and irreversibly ceased.

Examples of a normal brain, brain death, and a vegetative state:

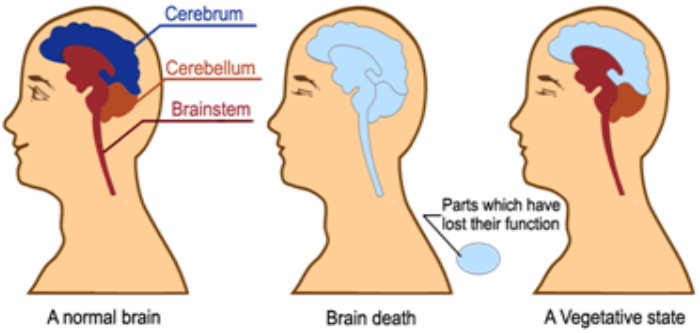

Common Causes of Brain Death

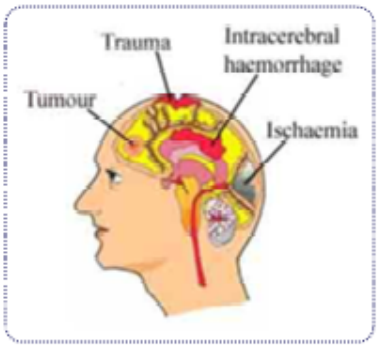

Organ & Tissue Donation after Brain Death

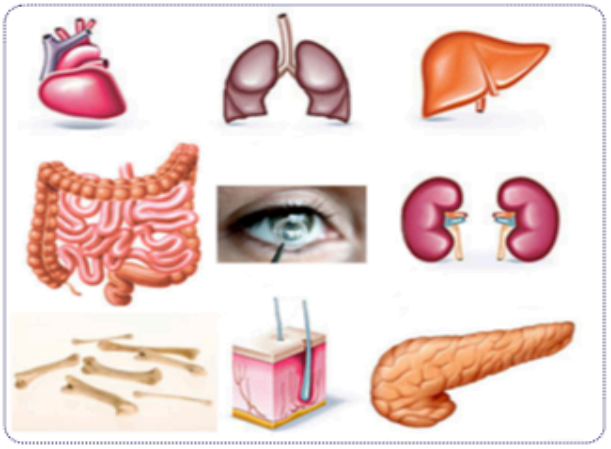

Time Factor

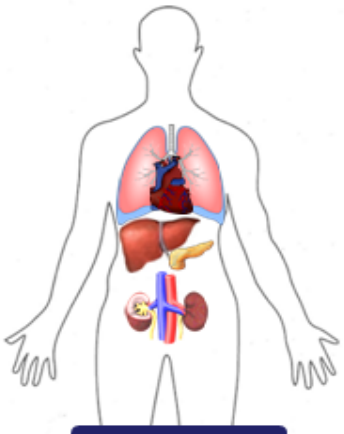

Donor

Lungs – 6 hours

Heart – 6 hours

Liver – 12 hours

Pancreas – 24 hours

Kidney – 48 hours

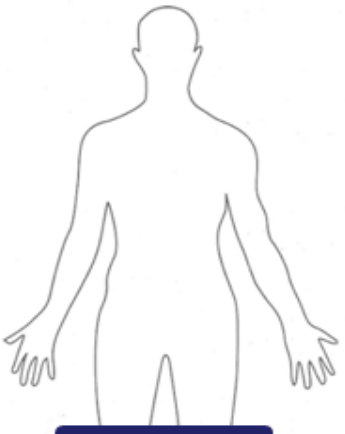

Recipient

डोनर कार्ड

DONOR CARD

YES! I AM AN ORGAN DONOR

MFJCF
ORGAN & TISSUE DONATION PROJECT
A Unit of Jaipur Citizen Forum

LIFE...PASS IT ON

56,Geeta Path,Suraj Nagar West,Civil Lines,Jaipur-302006

Contact :-9829059005,9983302011,9602650198,9828186908,9799003860

E-mail:mfjcfjaipur@gmail.com | Website:www.mfjcfnavjeevan.info | Facebook: https://www.facebook.com/mfjcf

परामर्शसुझाव:-

ऑर्गन डोनेशन हेल्पलाइन की कार्य प्रणाली इस प्रकार होगी

- एक इमरजेंसी सेवा:- जो अंग प्र्त्यारोपण के इन्तजार में है तथा जो परिवार अंगदान करना चाहते हैं!
- एक सूचना सेवा:- जो आम लोगों को अंगदान के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करवाए!
- एक सुझाव सेवा:- जो लोगों को अंगदान से सम्बंधित जानकारी देने में सहायता करे!

काउंसलिंग	
करें	ना करें
सजग होकर बात को सुनें	सुझाव ना दें
बात को स्पष्ट रूप से कहें	निर्णय ना दें
रिफ्लेकशन	कॉलकर्ता की समस्या का निवारण करने की कोशिश
अच्छी तरह से प्रश्न पूछें	कॉल लेते समय भावनात्मक रूप से जुड़ने से बचें
कॉल लेते समय सामने वाले की तरह से बात को समझने का प्रयास करें	कॉल पर समस्या को अपनी समस्या की तरह न समझें

-
-

FAQs - Organ donation -

मुझे अंगदाता बनने की आवश्यकता क्यों है?

वर्तमान समय में भारतवर्ष में करीब 150000 लोग ऐसे हैं जिन्हे किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकताहै। तथा लीवर व ह्रदय प्रत्यारोपण के लिए भी प्रतीक्षा सूची दिनो-दिन बढती जा रही है।

प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग प्रत्यारोपण के इंतजार में मर जाते है,क्योंकि उन्हे अंगदाता नही मिल पाता है। अंगों के लिए अंगदाता की मांग काफी ज्यादा है। यह सोचना बेहद ही मुश्किल होता है कि मृत्यु के पश्चात आपके शरीर के साथ क्या होगा मगर अंगदाता बनने का फैसला हमेशा ही अच्छा होगा तथा जिससे किसी और के जीवन की रक्षा होगी।

सभी लोग मृत्यु के पश्चात् संभावित अंगदाता होते हैं,हालांकि कैंसर,एचआईवी,संक्रमण(उदाहरण के तौर पर सेपसिस) और इन्ट्राविनस ड्रग होने पर अंगदाता नही बना जा सकता है।

वे मरीज जो हैपेटाइटिस सी से पिडित हैं अपने अंग उनको दान कर सकते हैं जो स्वंय हैपेटाइटिस सी से पिडित हो। इसी तरह हैपेटाइटिस बी में भी हो सकता है परन्तु ऐसा बस कुछ केस में ही होता है। कैंसर पिडित मरीज नेत्रदान कर सकते हैं।

अंगदान किस प्रकार उन मरीजों की सहायता कर सकता है जिनके अंग खराब हो चुके हैं?

अंग प्राप्तकर्ता के लिए अंग प्रत्यारोपण नये जीवन की तरह काम करता है। शरीर के मुख्य अंग जैसे-ह्रदय,अग्नाशय,लीवर,किडनी तथा लंग्स उन्हे प्रत्यारोपित किए जाते हैं जिनके यह अंग खराब हो गए हैं। तथा प्रत्यारोपण इन मरीजों को उनकी जिंदगी फिर से सामान्य रूप से जीने में सहायता प्रदान करता है। दूसरी ओर कॉर्निया तथा तंतु प्रत्यारोपण से आशय पुनः देख पाने व दर्द मुक्त जीवन जीने से है।

कौनसे अंगों व् तंतुओं का दान किया जा सकता है?

वर्तमान समय में निम्न अंगों व तंतुओं का दान किया जा सकता है-

ह्रदय-, लीवर-, किडनी-,लंग्स-, अग्नाशय-

कभी-कभी ह्रदय व लंग्स प्रत्यारोपण एक साथ करना पडता है।

तंतु जो दान किए जा सकते हैं-

कॉर्निया -, स्किन- , हार्ट वाल्व- , हडिडयां- , पेशियाँ -

कौन अंगदाता बन सकता है?

ब्रेन डेथ के बाद या जब कोई ह्रदय के रूकने से मर जाता है,वह मुख्य अंग तथा तंतुओं का दान करके अंगदाता बन सकता है।

आप अपने अंगों का दान करने का संकल्प डोनर कार्ड (जो कि मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम की वेबसाइट पर उपलब्ध है) भरकर कर सकते हैं। यह बेहद जरूरी है कि आप इस फैसले के बारे में अपने परिवार को अवश्य ही बता दें कि आप अंगदाता बनना चाहते हैं! अगर किसी भी प्रकार की कागजी कार्यवाही अंगदाता बनने से संबधित संभावित अंगदाता द्वारा की गई हो तो भी उसके परिवार वालों की सहमति आवशयक होती है। अस्पताल अंगदान के लिए अंगदाता के परिवार वालो से सहमति लेकर ही कोई कार्य कर पाते हैं।

अगर आप व्यस्क नही हैं (18 वर्ष से कम) तो आपके परिवार की सहमति अंगदान के लिए बेहद आवशयक हो जाती है। तो यदि आप अंगदाता बनने की इच्छा रखते हैं तो यह आवशयक है कि आप अपने इस फैसले के बारे में अपने परिवार को अवशय बताकर रखें, बच्चों को भी अंग प्रत्यारोपण की आवशयकता पडती है तथा उन्हे व्यस्क की अपेक्षा छोटे अंगों की जरूरत पडती है।

मानव प्रत्यारोपण कानून (1994) व इसमें हुए संशोधन(2011)केवल चिकित्सीय कार्य के लिए अंगों तथा तंतुओं का दान स्वीकार करता है। मानव प्रत्यारोपण कानून (1995) फार्म-7 अंगदाता कार्ड है तथा फार्म-8 सहमति पत्र हैं जो अंगदाता का परिजन अपने हस्ताक्षर करके अंगों को निकालने की सहमति दे सकता है।

1. 100 वर्ष तक-कार्निया व स्किन
2. 70 वर्ष तक-किडनी व लीवर
3. 50 वर्ष तक-ह्रदय व लंग्स
4. 40 वर्ष तक-हार्ट वाल्व

डोनर कार्ड को अपने पास रखने की क्या अहमियत है जबकि मेरी मृत्यु के पश्चात अंगदान करने का निर्णय मेरे परिवारजन का होगा

डोनर कार्ड एक बातचीत के लिए मध्यस्ता का कार्य करता है- अन्यथा आप यह समझते हैं कि कोई अन्य आपके परिवार के सदस्य से इस बारे में बात करेंगे!

डोनर कार्ड आपकी जेब में एक इमरजेंसी कार्ड की तरह काम करता है!
डोनर कार्ड आपको अंगदान के समर्थक के रूप में दर्शाता है!
यह किसी हद तक एक वैध दस्तावेज है जिसे अगर चिकित्सक आपके पास पाता है तो उसे आपके परिवारजन से अंगदान के संबंध में बात करने में हिचक महसूस नही होती!परिवारजन से सहमति अंगदाता की सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है!

अगर अस्पताल को यह पता चल जायेगा कि मैनें अंगदान के लिए संकल्प कर रखा है तो क्या मेरे इलाज में किसी तरह की खामी की जायेगी**?**

चिकित्सक का परम ध्येय केवल आपकी जान बचाना होता है ना कि किसी ओर की। आपका इलाज उस चिकित्सक के द्वारा हो रहा होता है जो आपकी बीमारी को भली-भाति जानता है। आपने अंगदान के लिए संकल्प किया है या नही इसका आपको दिए जाने वाले चिकित्सकीय कार्य में कोई प्रभाव नही पडता है। अंगदान केवल उसी स्थिति में किया जा सकता है जब उस चिकित्सक के द्वारा आपको ब्रेन डेथ घोशित कर दिया जाता है जिसका अंगो के प्रत्यारोपण में किसी प्रकार की कोई भूमिका नही होती

है। जो आपका इलाज कर रहा होता है वास्तव में उस डाक्टर का आपके अंगों के प्रत्यारोपण से कोई संबध ही नही होता है।

भारत में परिवार अंगदान के समय क्यों महत्वपूर्ण समझे जाते हैं**?**

कई पश्चिमी देशों में व्यस्कों के उपर निर्णय छोड़ा जाता है कि वह अंगदाता बनना चाहते हैं कि नही! लेकिन भारत में इसका अंतिम फैसला परिवारजन पर ही होता है। ब्रेन डैथ के समय अगर अंगदाता के पास अंगदाता कार्ड हो तो भी उसके परिवारजन की सहमति आवशयक होती है।

क्या मेरे परिवार को अंगदान के लिए किसी प्रकार का भुगतान करना होगा**?**

नही, अंग अथवा तंतु दान करने वाले परिवार को कभी भी अंगदान के लिए किसी प्रकार का भुगतान नही करना होता है। आपके परिवार को केवल मरीज की जान बचाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए भुगतान करना होता है। सडक दुर्घटना भारत में ब्रेन डैथ होने का सबसे मुख्य कारण है। पीडित को इमरजेंसी वार्ड तथा अति देख-रेख कक्ष में ले जाया जाता है! मरीज के परिवार से इस दौरान इलाज का खर्च लिया जाता है। एक बार जैसे ही ब्रेन डैथ की घोषणा हो जाती है और परिवार अंगदान के लिए राजी हो जाता है तो उसके बाद से अंग प्राप्ति से लेकर प्रत्यारोपण तक परिवार को किसी प्रकार का खर्चा नही उठाना पडता है।

मेरा स्वास्थ्य तथा उम्र अंगदान को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं**?**

अंग का प्रत्यारोपण अनेक चिकित्सकीय अवधारणाओं पर आधारित होता है सिर्फ उम्र पर नही। ऐसा भी हो सकता है कि अंगदान के लिए केवल कुछ अंग ही उचित अवस्था में हों सारे नही। चिकित्सक यह निर्णय लेते हैं कि मृत्यु के समय मरीज के कौनसे अंग व तंतु प्रत्यारोपण के लिए सही अवस्था में है

अंगदान तथा उम्र से संबधित कुछ मुख्य मार्गदर्शन निम्न प्रकार है-
100 वर्श तक-कार्निया व स्किन

1. 70 वर्श तक-किडनी व लीवर
2. 50 वर्श तक-ह्रदय व लंग्स
3. 40 वर्श तक-हार्ट वाल्व

मैने मेरी अंगदान बनने की इच्छा को रिकार्ड कर लिया है उसके बाद भी मुझे मेरे परिवार को इसके बारे में बताने की जरूरत क्यों है**?**

अपने किसी प्रिय की मौत का समय परिवार के लिए सबसे दुःखदायी होता है,और अगर अंगदान की इच्छा का परिवार को पहले से पता हो तो उन्हे अंगदान का निर्णय लेने में कुछ आसानी होती है। (1994)मानव प्रत्यारोपण कानून तथा इसमें हुए संशोधन 2011 अंगदान तथा तंतु दान के लिए स्वीकृति देता है अगर उनका उपयोग केवल चिकित्सकीय कार्य के लिए किया जा रहा है। कानून यह भी पुख्ता करता है कि मरीज के परिवारजन अंगदान के लिए राजी होने चाहिए। जब कभी मृतक अंगदान होता है तो कुछ विशेष फार्म भरे तथा हस्ताक्षर किये जाते हैं। फार्म-7 अंगदाता कार्ड होता है। फार्म-8 सहमति पत्र होते हैं जिसे मरीज के परिवार जन द्वारा अंगदान की सहमति के लिए भरा जाता है।

क्या मैं मेरे अंगों को बेच सकता हूँ ?

नही, मानव अंग प्रत्यारोपण कानून द्वारा इसे अवैधानिक माना गया है जिसके अनुसार अंगों व तंतु की खरीद फरोख्त दंडनीय अपराध है। आपको ऐसा लग सकता है कि यह सिर्फ आपका फैसला है तथा अपने अंग बेचने के बाद आपकी धांधली के बारे में किसी को पता नही चलेगा व आप फिर से सामान्य जीवन यापन कर लेगें। परन्तु शोध में यह पता चला है कि जिन्होने अपने अंगों को पैसे के लिए बेच दिया है वे सामान्य जीवन नही जी पाये हैं।

धारा **19** के तहत आने वाले जुर्म	**1994** के मानव अंग प्रत्यारोपण कानून के तहत सजा	संशोधित कानून **2011** के तहत सजा
1. अंग को उपलब्ध करवानेकी एवज में पैसे लेता अथवा देता है।		
2. ऐसे व्यक्ति की खोज में रहता है जो अंगो के बदले पैसे दे सके		
3. किसी भी मानव अंग के बदले पैसे की पेशकश करता है।		
4. किसी भी प्रकार से मानव अंग खरीद के लिए तोल-मोल करता है	कम से कम **2** वर्ष की तथा **7** वर्श तक भी हो सकती है **10000** से **20000** जुर्माने के साथ	कम से कम **5** वर्षों की सजा जो दस वर्षों तक हो सकती है तथा जुर्माने की राशि **20** लाख से एक करोड रूपये तक
5. किसी भी प्रकार का विज्ञापन जिसमे किसी भी व्याक्ति को मानव अंग की पूर्ति करना या प्रस्ताव देना		
6. अंगदान से सबधित गलत दस्तावेजों को बनाना व् पेश करना		

अंगदाता पंजीकरण का क्या महत्व है?

पंजीकरण सबसे मुख्य भाग होता है यह जानने के लिए कि कौन संभावित अंगदाता है। पंजीकरण योजनाकर के लिए महत्वपूर्ण सूचना का समावेश होती है जिसके अनुसार अंगदान के लिए वह कार्य

करता है। पंजीकरण होने से चिकित्सकों तथा प्रत्यारोपण सहायकों के लिए परिवार से बात करके सहमति लेना आसान हो जाता है।

FAQs – Brain Death

मरीज को कब मृत घोषित कर दिया जाता है?
कोई भी व्यक्ति ह्रदय गति रूक जाने से अथवा दिमागी रूप से मृत हो जाने पर मृत घोषित कर दिया जाता है।

सबसे पहले कब ब्रेन डैथ को मृत्यु मान लिया गया था?
1959 में दो फ्रैंच चिकित्सकों ने सबसे पहले ब्रेन डैथ की पहचान एक मरीज में की थी जो वेंटीलेंटर पर था तथा उसे कोमा की आगे की स्थिति बताया! **1968** में ब्रेन डैथ को अपरिवर्तनीय कोमा मान लिया गया जिसमें मरीज के सभी चेतना भाग मृत हो जाते हैं और वेंटीलेटर से हटाने पर मरीज किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नही देता है। तभी से ब्रेन डैथ को भी मृत्यु का ही एक प्रकार मान लिया गया।

ब्रेन स्टेम की संरचना व कार्य क्या होते हैं?
मष्तिष्क के नीचे का भाग जो स्पाइनल कोर्ड से जुडा होता है उसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम इन सभी क्रियाओं के क्रियान्वन के लिए उत्तरदायी होता है(सांस लेना, खाना पचाना, दिल का धडकना, रक्तचाप) तथा संवेदना (जगा हुआ तथा सचेत रहने) के लिए ब्रेन स्टेम जिम्मेदार होता है। ब्रेन स्टेम ही तंत्रिका संचालन करता है। यह परिधीय तंत्रिकाएं एंव मेरुदण्ड तथा मास्तिष्क के बीच एक मार्ग के तरह कार्य कर्ता है।

ब्रेन डेथ के समय ब्रेन का कौनसा हिस्सा कार्य करना बंद कर देता है और क्यों ?
ब्रेन डैथ होने का मुख्य कारण ब्रेन में टयूमर, दुर्घटना की वजह से चोट, हैमरेज का होना होता है। ब्रेन स्टेम जो ब्रेन का आधार होता है वो कार्य करना बंद कर देता है। इसका यह परिणाम होता है कि व्यक्ति स्वंय सांस लेना बंद कर देता है और फलस्वरूप उसका ह्रदय कार्य करना बंद कर देता है।

दिमाग में लगी चोट का इलाज कौनसे चिकित्सक द्वारा किया जाता है?
अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में जो चिकित्सक कार्य कर रहे होते हैं वे ही दिमाग में लगी चोट वाले मरीज को शुरूआती इलाज उपलब्ध करवाते हैं। तथा यह तय करते हैं की इलाज के लिए मरीज को अतिदक्षता(देख-रेख) विभाग में भेजा जाये या नही! गहन चिकित्सा इकाई में न्यूरोलाजिस्ट, न्यूरोसर्जन तथा इंटेसिविस्ट मरीज को इलाज प्रदान करते हैं।

कौनसे चिकित्सक ब्रेन डैथ को घोषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं?
ब्रेन डैथ को प्रमाणित करने के लिए, दो चिकित्सक अस्पताल से तथा दो चिकित्सक सरकारी रूप से प्रमाणित दल से मिलकर जांच के द्वारा ब्रेन डैथ घोषणा पर कार्य करते हैं। इनमें से एक चिकित्सक का न्यूरोलाजिस्ट, न्यूरोसर्जन या इंटेसिविस्ट का होना जरूरी है।

क्या अंगदान तथा प्रत्यारोपण नही किये जाने की स्थिति में ब्रेन डैथ को प्रमाणित करने का तरीका वही होता है जैसा कि अंगदान तथा प्रत्यारोपण किये जाने की स्थिति में?
अंगदान किया जाना हो अथवा नही ब्रेन डैथ को प्रमाणित करने का तरीका एक जैसा ही होता है। मृत्यु का समय दूसरे एपनिया टेस्ट को ही माना जाता है। ब्रेन डैथ में कई बार परिवारजन से सहमति मिल जाने के बाद भी अंगदान संभव नही हो पाता है।

वे कौनसे परीक्षण हैं जो अपरिवर्तनीय ब्रेन डैथ को घोशित करने के लिए किए जाते हैं**?**
मृतक अंग प्रत्यारोपण क़ानून में परीक्षणों की एक सूची होती है जिसे चिकित्सक द्वारा ब्रेन डैथ सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण मरीज पर यह जानने के लिए किये जाते हैं कि वो ब्रेन डैथ है या नही मरीज पर क्रेनियल नर्व तथा एपनिया टेस्ट किये जाते हैं।

एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य होता है जब किसी मरीज को ब्रेन डैड घोषित किया जाता है**?**
ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को दुःख से ग्रसित परिवारजन के साथ रहना होता है, तथा परिवारजन को सहज महसूस कराना तथा नेत्रदान व बाद में अंगदान के विशय में बात करने की जिम्मेदारी भी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर पर होती है। अगर परिवारजन अंगदान के लिए सहमति दे देते हैं तो सहायक मृतक अंगदान प्रत्यारोपण समूह को इसकी सूचना उपलब्ध करवाता है, गहन चिकित्सा इकाई **(ICU)** के मेडिकल स्टाफ के साथ मरीज को अंग निकाले जाने तक व्यवस्था करता है। सहायक की अन्य जिम्मेदारी यह भी होती है कि वो इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि मरीज से संबधित सारे कागजी कार्यवाही को पूरा करके जल्द से जल्द मरीज का पार्थिव शरीर परिवारजन को अंत्येष्टि के लिए सौंप दिया जाये**!**

ब्रेन डैथ घोषणा में पुलिस किसी भी तरह से शामिल होती है या नही?
पुलिस को निश्चित रूप से ब्रेन डैथ के बारे में बताना होता है अगर वो केस मेडिको लीगल केस **(MLC)** होता है**!** ब्रेन डैथ घोषणा का कार्य केवल उचित चिकित्सक समूह द्वारा ही किया जाता है।

परिवारजन को ब्रेन डैथ के बारे में कौन बताता है**?**
चिकित्सक **(**इंटेसिविस्ट**,** न्यूरोलॉजिस्ट**,** न्यूरोसर्जन**)** जो मरीज का इलाज कर रहा होता है वही परिवार को ब्रेन डैथ के बारे में बताता है।

केवल ब्रेन डैड मरीज के अंग ही क्यों प्रत्यारोपण के लिए काम में लिए जाते हैं उनके क्यों नही जो ह्रदय की गति के रूक जाने से मृत हुए हैं**?**
सालिड अंग दान **(**ह्रदय**,** लंग्स**,** लीवर**,** अग्नाशय**,** किडनी**)** को प्रत्यारोपण होने तक रूधिर संचार की आवश्यकता पडती है जो कि संभवतयः केवल ब्रेन डैथ होने की स्थिति में ही संभव हो पाता है जब इन अंगों को सही रखने के लिए कुछ समय के लिए सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है।

FAQ - नैतिक मुददे – Ethical concepts

क्या यह संभव है कि मेरे अमीर होने से या समृध्द होने से या प्रभावशाली सम्पर्क होने से मैं प्रतीक्षा सूची में किसी तरह से पहले आ सकता हूँ**?**
नही, भारत में अंगों का आवंटन प्राप्तकर्ताओं को प्रतीक्षा सूची के आधार पर पहले से ही निर्धारित कसौटी के आधार पर किया जाता है जिसमें पंजीकरण तथा चिकित्सकीय मुददे अहम होते हैं। समृध्दि, कुल अथवा किसी भी व्यक्ति के लिंग से प्रतीक्षा सूची पर कोई फर्क नही पडता कि उसे अंग मिलेगा या नही। मानव अंग प्रत्यारोपण कानून 1994 के तहत मानव अंग को बेचना व खरीदना कानूनन अपराध माना गया है।

हमें यह कैसे पता चलेगा कि चिकित्सक जो प्रत्यारोपण की सलाह दे रहे हैं वो सही है**?**
किसी भी चिकित्सक की अच्छाई, चरित्र व योग्यता हमें प्रत्यारोपण के लिए सोचने व बात करने के लिए काफी होती है। आधारभूत नैतिक मुददे जो चिकित्सा में अपनाए जाते हैं वे अंगदान तथा प्रत्यारोपण के लिए भी अपनाये जाते हैं तथा निम्नलिखित है-

1. मरीज का स्वास्थ्य पहला आधार है।
2. अंगदान व प्रत्यारोपण पूरी सच्चाई व ईमानदारी के साथ किया जाता है।
3. किसी भी तरह का धार्मिक, राष्ट्रीयता, जातीय,राजनिति समूह अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि का अंग प्राप्त करने वाले मरीज तथा किये जाने वाले कार्य पर कोई प्रभाव नही पडता है।
4. मरीज की गोपनीयता का सम्मान

जिवित असंबध्द के अंगदान संबधी कौनसे नैतिक मुददे होते हैं**?**
परिवारजन,
अंगप्राप्तकर्तातथाप्रत्यारोपणकरनेवालेअस्पतालद्वाराअंगदाताकाकिसीभीप्रकारकाभावात्मक/आर्थिकशोषणनहोजायेइसकेलिएचिकित्सकचिंतितहोतेहैं! अंगोंकीबढतीमांगकोदेखतेहुएलगताहैकीजिवित अंगदान से अंगदाता के मानव जीवन का दोहन संभव है।
प्रत्यारोपण करने वाले अस्पताल आज अच्छे कार्यप्रणाली के साथ बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, इसके लिए एक वैधानिक आयोग स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त किया गया है जो सभी प्रार्थना पत्रों पर कार्य करते हैं। वर्तमान समय में जिवित असंबध्द अंगदान ज्यादा स्पष्ट व् सुचारू हो गये है।
वे कौनसे नैतिक आधार हैं जिसे दुःख परामर्शदाता **(grief counselor)** द्वारा मृतक अंगदान में इस्तेमाल किया जाना चाहिए**?**
दुःख परामर्शदाताकी सबसे बडी जिम्मेदारी परिवारजन को सहज महसूस करवाना व अंगदान के महत्व को बताना है। निम्नलिखित कुछ नैतिक नियम है जो सामाजिक कार्य के महत्व, न्याय, मानवता तथा मानव द्वारा मानव के रिश्ते को समझने पर आधारित होते हैं। सभी परामर्शदाताओं कोइन नियमों का पालन करते हुए ही समस्त अंगदाताओं के परिवारजन से बात की जानी चाहिए।

क्या किसी भी स्वस्थ्य जीवित व्यक्ति के शरीर से अंग को निकाल कर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित करना सही है**?**
अंग प्रत्यारोपण को जीवनरक्षक प्रणाली माना गया है। यह अंग प्रत्यारोपण टीम पर निर्भर करता है कि वे जिवित अंगदान प्रत्यारोपण के साथ आगे बढ़ते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि अंगदाता को किसी प्रकार की हानि ना हो व प्राप्तकर्ता का जीवन भी सही रहे । सिर्फ प्रत्यारोपण टीम यह फैसला ले

सकती है कि अंगदान से प्राप्तकर्ता मरीज को फायदा तथा अंगदाता को नुकसान ना हो। प्रत्यारोपण में अंगदाता के स्वास्थ्य का विषेश ध्यान रखा जाता है।
इसलिए सक्रिय तथा सफल मृतक अंगदान प्रत्यारोपण कार्यक्रम की विशेष आवश्यकता है।

अंगों की तस्करी से क्या आशय है**?**
वर्तमान समय की बात की जाये तो अभी सालिड अंगों की मांग उसकी सप्लाई से कहीं ज्यादा है इस वजह से इन जीवन रक्षक अंगों को किसी भी तरह से सामने आई है! कई स्थानों में जिवित अंगदान को व्यापारिक रूप् दे दिया गया है, विशेषकर जिवित असंबध्द समूह में। यह पूरे संसार के लिए चर्चा तथा चिंता का विषय है। गरीब तथा जरूरतमंद लोगों का शोषण किया जा रहा है, वे अपने अंगों को पैसे के बदले में बेच रहे हैं, बिना आपॅरेश न या अंग निकाले जाने के बाद दी जाने वाली उपचार विधि के ज्ञान के। ऐसा देखा गया है कि विकसित देशों के लोग विकासशील देशों में आकर प्रत्यारोपण करवाते है।

सम्भावित अंग प्राप्तकर्ता की पहचान कैसे होती है**?** अगर मैं मेरे अंग दान कर चुका हूँ तो वो किसे प्रत्यारोपित होंगे इसका फैसला कौन करता है**?**

राजस्थान में ,राजस्थान नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग कमप्यूटराइज्ड कार्यप्रणाली द्वारा राज्यस्तरीय प्रतीक्षा सूची के माध्यम से संचालित किया जाता है।
प्रतीक्षा सूची विभिन्न कसौटी पर निर्भर करती हैं जैसे पंजीकरण का समय, चिकित्सकीय अत्यावशयकता तथा स्थान। इस प्रणाली द्वारा प्रत्येक प्रतीक्षारत मरीज को अंगदाता के अंग से तुलना की जाती है कि शरीर का आकार, वजन और ब्लड गुरप से कितना मिलता है, मरीज कितना बीमार है, मरीज कितने समय से अंग प्रत्यारोपण का इतजार कर रहा है।
प्रत्येक निजी अस्पताल की अपनी स्वंय की प्रतीक्षा सूची होती है जो स्वय अस्पताल पर आधारित होती है तथा यह राज्यसूची से जुडी हुई होती है। कामन आर्गन पूल में प्रत्येक अस्पताल की बारी आती है।

FAQs - कानूनी मुददे – Legal Aspects

यह कौन घोषित करता है कि मरीज ब्रेन डैड है?

सरकार ने यह निर्दिष्ट किया है कि चिकित्सकों का एक दल द्वारा ब्रेन डैथ को घोषित किया जायेगा ना कि केवल किसी एक अकेले चिकित्सक द्वारा।
दल में इनको शामिल किया जाता है-
1. अस्पताल का प्रभारी (चिकित्सक अधीक्षक)
2. वैधानिक आयोग द्वारा गठित किये गये दल से चिकित्सक
3. न्यूरोलाजिस्ट, न्यूरोसर्जन, इंटेसिविस्ट जिनका गठन वैधानिक आयोग द्वारा ही किया गया हो।
4. मरीज का इलाज करने वाला चिकित्सक
इन चारो चिकित्सकों की टीम जांच करके ब्रेन डैथ घोषित करते हैं।

कौन वैधानिक रूप से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है जो चिकित्सकों को ब्रेन डैड व्यक्ति से अंग लेने की आज्ञा देता हो?

वह व्यक्ति जिसके पास मृत व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो हस्ताक्षर कर सकता है। सामान्यतः यह कार्य परिवार के किसी सदस्य, माता-पिता, पति/पत्नी, बेटा बेटी अथवा भाई-बहन के द्वारा किया जाता है। हस्ताक्षर करने के साथ ही वे इस बात की आज्ञा देते हैं कि उनके प्रिय के शरीर से अंग लेने में उन्हे किसी प्रकार की कोई आपति नही है। यह एक वैधानिक पत्र होता है जिसे अस्पताल के द्वारा संभाल के रखा जाता है।

मेडिको लीगल केस क्या है**?**
जब किसी दुर्घटना से ग्रस्त मरीज को अस्पताल के आपातकालीन रोगीकक्ष में लाया जाता है, तब परिवार के द्वारा पुलिस को इस बारे में सूचना दी जाती है। इस तरह के केस मेडिको लीगल केस कहलाते हैं तथा किसी भी तरह के चिकित्सकीय कार्य (आत्महत्या,शोषण,जहरखुरानी या उंचाई से गिरने) जिनकी पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए ऐसे केस मेडिको लीगल केस कहलाते हैं।
पुलिस जांच करती है तथा इस तरह के दुर्घटनाओं के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश करती है। एक फोरंसिक चिकित्सक मरीज की जांच करता है व अंग लेने की सहमति या नामंजूरी भी बताता है।

क्या कारण है कि ब्रेन डेथ मरीज के अंगदान में समय ज्यादा लगता है**?**
ब्रेन डैथ को प्रमाणित करने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं वो 6 घंटे के अंतराल में दो बार होना होता है। एक बार जैसे ही अंगदान के लिए हामी मिल जाती है तो अंगों को निकालने की पूरी प्रक्रिया में समन्वय बनाने में समय लगता है।
अंग को अंगदाता के शरीर से निकालने के लिए बहुत से अस्पताल और प्रत्यारोपण करने वाला दल इस बात की भी पुष्टि करता है कि निकाला गया अंग प्राप्तकर्ता को लग भी सकता है या नही। और यदि ये एक मेडिको लीगल केस है तो एक पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता भी होती है जिसमें पुलिस तथा फॉरेंसिक विभाग शामिल होता है।

अगर मैं एक किडनी किसी परिवार के सदस्य को दान करना चाहूं तो जिवित अंगदान के लिए किस प्रकिया से गुजरना होगा?

जिस परिवार के सदस्य को किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता है उसे किडनी प्रत्यारोपण अस्पताल में पंजीकृत होना आवश्यक है। वहां चिकित्सक आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आपके खून की जांच (एचएलए HLA typing) की जाती है जिससे चिकित्सक आपके एचएलए से प्राप्तकर्ता के एचएलए को मिला सकें। इस दौरान आपको मानसिक तथा शारीरिक दोनो रूप से स्वस्थ्य होना होता है।

आपको चिकित्सकीय, सर्जरीकल तथा मानसिक रूप से स्वस्थ्य होने से संबधित अपने दस्तावेज जमा कराने होते हैं कि आप अंगदान करने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ्य है। कुछ लोगों के साथ यह समस्या होती है कि वे अंगदान तो करना चाहते हैं परन्तु जांचों के दौरान उनके अस्वस्थ्य होने का पता चलता है। स्वास्थ्य विभाग के सदस्य आपके साथ इन जांचों में शामिल होते हैं जिनमें फिजिशियन, सर्जन, प्रत्यारोपण सहायक तथा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं।

इन सभी जांचों को कराने में सामान्यतः 6 से 7 दिन का समय लगता है। यह भी निर्भर करता है कि आप कहां रहतें हैं और कौनसी जांचे आपके लिए लिखी गयी है। जहां तक संभव हो सके जांचे आपकी जरूरत के हिसाब से की जाती है।

अगर मुझे कहीं भी अंगों के बिकने का पता चलता है तो मुझे किसको बताना चाहिए?

किसी भी झूठे साक्ष्यों अथवा अपराध के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के वैधानिक आयोग को इसकी सूचना देनी चाहिए। वैधानिक आयोग ऐसे लोगों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करती है। कोई अस्पताल, वैधानिक आयोग, या कोई व्यक्ति विशेष वैधानिक आयोग से सम्पर्क साध कर इस बात की सूचना दे सकता है। 2011 संशोधन मानव अंग प्रत्यारोपण कानून निम्न को अपराध की श्रेणी में रखता है-

अपराध (मानव अंग प्रत्यारोपण कानून) 2011 कानून संशोधन	कारावास	जुर्माना
बिना किसी आयोग के अंगो को निकालना	10 वर्ष	20 लाख रूपये
बिना किसी आयोग के अंगो को निकालना वैध चिकित्सक के लिए सजा	पहला अपराधः-3 वर्ष के लिए अपंजीकृत करना	दूसरा अपराध-हमेशा के लिए अपंजीकृत कर देना
अंगों का व्यापारिकरण अथवा झूठे साक्ष्य पेश करने पर	5-10 वर्ष	20 लाख से 1 करोड रूपये
मानव अंग प्रत्यारोपण के किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर	5 वर्ष	20 लाख रूपये

क्या कोई व्यक्ति फेसबुक पर अंग के लिए अपने मित्रों से पूछ सकता है?

फेसबुक लोगों को पुराने लोगों, मित्रों तथा सहकर्मियों से जोडे रखने में मदद करता है। एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए सोस(सेव अवर सोल) सन्देश का इस्तेमाल अपने मित्र को भेजकर कर सकता है।

मरीज को प्रत्यारोपण टीम को बताना होता है कि उसका का कोई नजदीकी मित्र अंगदान करना चाहता है। प्राप्तकर्ता तथा अंगदाता को वैधानिक आयोग से जीवित असम्बद्ध अंगदान के लिए रूबरू होना पडता है।

FAQs – किडनीप्रत्यारोपण Kidney Transplantation

मैं अपनी मृत्यु के बाद अपनी किडनी को कैसे दान कर सकता हूँ ?
अंगदाता (डोनर कार्ड) कार्ड के जरिये अंगदान का संकल्प करके व्यक्ति मृत्यु पश्चात अंगों को दान करने की इच्छा जाहिर कर सकता है। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस फैसले के बारे में अपने परिवारजन को बता दें क्योंकि अंतिम फैसला परिवार का ही होगा कि आपकी किडनी दान की जाये अथवा नही।

किडनी प्रत्यारोपण के लिए मैं अपने आपको किस प्रकार से पंजीकृत कर सकता हूँ ?
आपको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यारोपण अस्पताल में जाना होगा, वे सभी (प्रत्यारोपण समन्वयक) आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आपको किडनी प्रत्यारोपण मरीज की तरह किस तर पंजीकरण करवाना है! अगर आप मृतक अंगदान कार्यक्रम परियोजना सम्बन्धित अस्पताल एंव राज्य की सूची में शामिल होना चाहते हैं तब आपको 2000 रूपये पंजीकरण शुल्क के तौर पर जमा कराने होगें।

अगर मैं मोहन फाउण्डेशन जयपुर सिटीजन फोरम का सदस्य बन जाउं तो क्या आप मेरे लिए किडनी की व्यवस्था करवा देंगे?
नही, मोहन फाउण्डेशन जयपुर सिटीजन फोरम आपके लिए किडनी की व्यवस्था नही करवा पायेगा हालांकि पंजीकरण कैसा किया जाता है इसके लिए आपकी मदद कर दी जायेगी।

किडनी को बेचने, खरीदने और प्राप्त करने के लिए मदद करने पर सजा का क्या प्रावधान है?
मानव अंग प्रत्यारोपण कानून संशोधन 2011 में इस जुर्म के लिए सजा के प्रावधान को बढा दिया गया है। अंगों का व्यापारिकरण अथवा झूठे साक्षय पेश करने परः-5 से 10 वर्ष की सजा तथा 20 लाख से 1 करोड़ रूपये तक का जुर्माना है!

मैं अपनी एक किडनी मेरी बहन/भाई को दान कर रहा हूँ मुझे किन परीक्षणों से गुजरना होगा?
जिस भी परिवार के सदस्य को किडनी की जरूरत है उसे किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रत्यारोपण अस्पताल में अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है। तत्पपशचात चिकित्सक आपका मार्गदर्शन करेगें कि आगे क्या करना है! आप अंगदाता हैं तो आपका रूधिर (एचएलए HLA typing) परीक्षण किया जायेगा कि अंग प्राप्तकर्ता से आपका अंग प्रत्यारोपित हो पायेगा भी या नही! इस दौरान आपको शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना जरूरी होगा।
आपको चिकित्सकीय, शल्य चिकित्सा तथा मानसिक परीक्षण से गुजरना होगा कि आप अंगदान करने के लिए स्वस्थ्य हैं। कई लोग अंगदान करने के इच्छुक होते हैं परन्तु स्वास्थ्य कारणों से वह अंग देने योग्य नही होते हैं।

मेरा परिवार मुझे किडनी दान करके किसी परिजन की जिंदगी बचाने के लिए दबाव बना रहा है कौन मेरी मदद कर सकता है?
अपना मुद्दा रखने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते हैं। सर्वप्रथम आपको अपने परिवारजन में जो आपको समझता है उससे बात करनी होगी। आप इलाज करने वाले चिकित्सक अथवा प्रत्यारोपण करने वाले चिकित्सक से मिलकर अपने विचारों के बारे में बता सकते हैं। आप प्रत्यारोपण सहायक, परामर्शदाता अथवा मानसिक चिकित्सक से प्रत्यारोपण अस्पताल में मिलकर अपने फैसले के बारे में बता सकते हैं।

मैं राजस्थान का नही हूँ, मैं यहां पर किडनी प्रत्यारोपण के लिए यहां अपने आपको पंजीकृत करवाना चाहता हूँ, इसकी प्रक्रिया क्या होगी?
किसी वैध प्रत्यारोपण अस्पताल में सम्पर्क करें, अपने आपको उस अस्पताल की प्रतीक्षा सूची में प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण करवायें। यदि आप मृतक अंगदान प्रत्यारोपण के तहत अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो अस्पताल आपके पंजीकरण में मदद करेगा! इसके लिए आपको कैडेवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में 2000 रू की राशी डीडी के तहत जमा करानी होगी ।एक बार आपका पंजीकरण हो जाता है तो आप प्रतीक्षा सूची में आ जाते हैं जहां से आप अपनी स्थिति आनलाइन देख सकते हैं।

क्या एक से अधिक अस्पतालों में पंजीकरण संभव है?
सम्बंधित राज्य में, आप एक से अधिक अस्पतालों में अपना पंजीकरण नही करवा सकते हैं। आप राज्य के अन्र्तगत एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जा सकते हैं! ऐसा करने पर भी प्रतीक्षा सूची में आपकी स्थिति यथावत रहेगी। आप किडनी प्राप्तकर्ता के तौर पर एक से अधिक राज्यों में पंजीकरण करवा सकते हैं।

मैं अपने मित्र के लिए किडनी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
तीन तरह से किडनी का दान किया जा सकता है
जिवित संबध्द अंगदान - जिवित अंगदान तब होता है जब कोई जीवित व्यक्ति अपना अंग या उसका हिस्सा प्रत्यारोपण के लिए किसी अन्य व्यक्ति को देता है। अंगदाता परिवार का कोई सदस्य, जैसे माता-पिता,बेटा, भाई या बहन, दादा-दादी, पोता-पोती हो सकते हैं।

जिवित असंबध्द अंगदान - जिवित अंगदान जब कोई प्राप्तकर्ता से भावात्मक रूप से जुडा हो, जैसे कोई मित्र, संबधी, पडोसी अथवा पति-पत्नी के परिवारजन

मृतक अंगदान - इसके लिए मरीज को अपने आपको ऐसे अस्पताल में अपना पंजीकरण कराना होगा जहां किडनी प्रत्यारोपण होता हो। मरीज इस तरह से प्रतीक्षा सूची में शामिल हो जायेगा तथा जैसे ही उचित मृतक अंगदान(ब्रेन डैथ) उपलब्ध होगा तो प्राप्तकर्ता को बता दिया जायेगा।
वो अस्पताल जहां पर प्रत्यारोपण हो रहा है वहाँ पर योग्य प्रत्यारोपण समन्वयक(ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर) होगा जो मरीज को पूरी प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दे सके।

ऑय बैंक की सूची (List of Eye banks)

शहर	ऑय बैंक का नाम	पोस्टल एड्रेस	सम्पर्क सूत्र	दूरभाष नंबर
अजमेर	ई.बी.एस.आर –चैप्टर	पुष्प वाटिका, गोखले मार्ग, अजमेर	रवि तोशनीवाल, भरत कुमार शर्मा, कुलदीप सिंह	9829071778 9001777767 9116673125
भीलवाडा	ई.बी.एस.आर –चैप्टर	रामस्नेही चिकित्सालय व् अनुसंधान केंद्र, स्वामी रामचरण मार्ग, रामदेवरा भीलवाडा-311001	डॉ. सुरेश भदादा श्री शिवम राठोर	9414677448 9530052913
जयपुर	ई.बी.एस.आर –चैप्टर(हेड क्वार्टर)	मोबाइल सुगिकल पॉइंट यूनिट,मोती डूंगरी रोड, जयपुर	श्रीमती शोनू जैन पुल्केश कुमार	9784376454 9782090206
जोधपुर	ई.बी.एस.आर –चैप्टर	भावांजलि केंद्र,नेहरु पार्क(भक्ति मार्ग स्कीम), जोधपुर-342003	श्री कुन्ना राम, श्री राजेंद्र जैन श्रीमती सुशीला बोहरा ,	8386029670 9314419846 9784482301; 9414133879, 0292-2431879;
कोटा	ई.बी.एस.आर –चैप्टर	एए-1 वसुंधरा विहार, बजरंग नगर कोटा	डॉ कुलवंत गौड़, श्री टिंकू ओझा श्री के.के. कंजोलिया महेंद्र यादव	9116673128 9214311001 9782119333
कोटा	बीबीजे आई कलेक्शन सेंटर	बीबीजे आई कलेक्शन सेंटर, कोटा	डॉ कुलवंत गौड़,	8386900102
पली मारवाड़	ई.बी.एस.आर –चैप्टर	58 महावीर नगर ,पली मारवाड़- 306401	श्री राजेंद्र गुर्जर हुकमी चंद मेहता,केवल चन्द्र कँवर, रईस खान	9828672949 9251911919, 9252066000; 9414123335; 9784520190
उदयपुर	ई.बी.एस.आर –चैप्टर	9, प्रताप कॉलोनी,कालका माता रोड, पहाडा,उदयपुर	श्रीमती रेखा जीनगर	9116673126 9784660399 9413474354,

			श्री नवीन जीनगर श्री सूरजमल पोरवाल	0294-2450277,
अलवर	ई.बी.एस.आर –चैप्टर		डॉ. हर्ष शर्मा	9414216176
चित्तौड़गढ़	ईबीएसआर-चैप्टर	एमआई आई कलेक्शन सेंटर, चित्तौड़गढ़	श्री ए.एस.संजेती	9414003805

Body Donation

अस्पतालों का विवरण जो मृत शरीर को स्वीकार करते हैं -

डॉसम्पूर्णानन्दमेडिकलकॉलेज रेजीडेंसीरोड, श्रीरामएक्सेलेंसीहोटलकेपास, पेट्रोलपंपकेसामने, जोधपुरराजस्थान 342001 दूरभाष:-0291 2434377	रबिन्द्रनाथटैगोरमेडिकलकॉलेज, कलेक्ट्रेटहॉस्पिटलरोड, कोर्टचौराहा, उदयपुर, राजस्थान 313001 मोबाइल- 9414472202
गवर्नमेंटमेडिकलकॉलेज, रंगबाड़ीरोड, खडगणेशजीकेमंदिरकेपासपिनकोड -324001 कोटा, राजस्थान, मोबाइल- 9414309815	सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, राजस्थान मोबाइल- 9785002172
जवाहरमेडिकलकॉलेज रेजीडेंसीरोड, रेजीडेंसीरोड, श्रीरामएक्सेलेंसीहोटलकेपास, पट्रोलपंपकेसामने, शात्रीनगर, जोधपुर, राजस्थान 342001	सवाईमानसिंहमेडिकलकॉलेज जयपुर, राजस्थान मोबाइल -9460779840
निम्सहॉस्पिटल शोभानगरजयपुर, दिल्लीहाईवे, जयपुर - 303121, राजस्थान मोबाइल -7891986848	महात्मागाँधीहॉस्पिटल रिकोइंडस्ट्रियलएरिया, सीतापुरा, टोंकरोडजयपुर, राजस्थान-302022, मोबाइल- 9303404445

Transplant Centres

लाइसेंस्ड ट्रांसप्लांट सेन्टर एंड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर

क्रमांक	अस्पतालकानाम	ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का नाम	मोबाइलनंबर	अंगकेलिएअधिकृत
1	सवाई मानसिंह अस्पताल	श्री राजकुमार राजपाल श्री रामप्रसाद मीणा महेश कुमार सैनी श्री रामनिवास	8209259815 9414311570 9460022567 9784856758	किडनी, लीवर, हार्ट, छोटी आंत, अग्न्याशय, फेफड़े
2	महात्मा गाँधी अस्पताल	डॉ. आरसी गुप्ता डॉ. आर्यन माथुर श्री किशोर शर्मा	9352702539 9303404445 9460022567	किडनी, लीवर , हार्ट, छोटी आंत, अग्न्याशय, फेफड़े, गर्भाशय
3	मोनिलेक अस्पताल	ज्योति केवलरमानी	9001992519	किडनी
4	फोर्टिस अस्पताल	श्री नवीन जिंदल	9414914418	किडनी
5	निम्स अस्पताल	राजेंद्र कुमार जांगिड़ पूरन कुमार	7891986848 9799087641	किडनी
6	अपैक्स अस्पताल	त्रिलोक शर्मा	9461628613	किडनी
7	नारायणा अस्पताल	श्रीमती निधि कपूर	9694096026	किडनी,हार्ट, लीवर
8	आस्था अस्पताल	डॉ संदीपचौहान	9414093355	किडनी
9	इटरनल हार्ट केयर सेन्टर	श्रीमती कवितारिझवानी	9950999562	हार्ट
10	संतोकबा दुर्लभजी मैमोरियल अस्पताल	श्री गिर्राज पारीक	9462146109	किडनी, लीवर, हार्ट, छोटी आंत, अग्न्याशय, फेफड़े
11	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा	डॉ. प्रीतिमा जयसवाल	9414309815	देह दान

Note - जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में रियायती दरों पर डाईलेसीस की सुविधा उपलब्ध है, अन्य निजी अस्पतालों में भी डाईलेसीस की सुविधा उपलब्ध है!

Important contact numbers -

राजस्थान नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग वेब रजिस्ट्री के सदस्य व् सम्पर्क सूत्र

क्रमांक	नाम	मोबाइलनंबर	पद
1 2	डॉमनीषशर्मा डॉ. अमरजीत मेहता	9829300541 9829006391	सलाहकार सलाहकार

जयपुरकेमोहनफाउंडेशनजयपुरसिटीजनफोरमराजस्थानमेंअंगदानकेलिएकार्यकियाजारहाहै!
एम.एफ़.जेसी समूह के सदस्यों का विवरण

क्रमांक	सदस्य का नाम	मोबाइल नंबर
1	प्रबोध चंद जैन	**9057987066**
2	MOHAN Foundation Jaipur Citizen Forum	**9799003860**

चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड की जानकारी के लिए
मुख्य लेखा अधिकारी
दूरभाष नंबर **01412227679 , 0141-2921084, 0141-2921060**
फैक्स **: +91(141)2227687**
ई मेल**: cmrf.cmo@rajasthan.gov.in**

Robert N Test left a legacy in 1976 when the concept of organ donation was just catching on. His legacy carries the whole essence of organ donation. It is entitled as "To Remember Me" and it reads as follows:

Life pass it On!!

"At a certain moment a doctor will determine that
my brain has ceased to function and that,
for all intents and purposes, my life has stopped.
When that happens don't call this my **"DEATHBED",** call it my "**BED OF LIFE**"
and let my body be used by others to lead fuller lives
Give my eyes to a man who has never seen a sunrise,
a baby's face or love in the eyes of a woman
Give my heart to a person whose own heart has caused nothing
but endless days of pain
Give my blood to the teenager who has been pulled from the wreckage of his car,
so that he might live to see his grandchildren play
Give my kidneys to one who depends on a machine to exist from week to week
Take my bones, every muscle, every fiber and every nerve
from my body to find a way to make a crippled child walk
Explore every corner of my **brain, take my cells** and let them grow
so that someday a speechless boy will shout at the crack of a bat
and a deaf girl will hear the sound of rain against her window
Burn what is left of me
and scatter the ashes to the winds to help the flowers grow
If you must bury something, let it be my faults, my weaknesses
and all my prejudice against my fellowmen
Give my sins to the devil and give my soul to God,
If you do what I have asked,
I WILL LIVE .....FOREVER